रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2087] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2014/आश्विन 22, 1936
No. 2087] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2014/ASVINA 22, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2632(अ).—जबकि, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में डॉ. के. एल. बाबू को केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय डाकघर, त्रिशूर से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, "धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और सबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी और प्रतिस्थापित की हुई मानी जाएंगी, अर्थात्:—

सदस्य का नाम और पता		उस विश्वविद्यालय का नाम जिससे निर्वाचित किया गया है	अवधि के लिए निर्वाचित
(1)		(2)	(3)
"1.	डॉ. के. एल. बाबू, प्रोफेसर, आर्गेनन ऑफ मेडिसिन विभाग, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, कोझीकोड	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय डाकघर, त्रिशूर	18 जुलाई, 2014 से 28 फरवरी, 2015 या उनके केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय डाकघर, त्रिशूर के होम्योपैथी संकाय का सदस्य रहने तक।"

[फा. सं. जेड. 28016/01/2013-एचपीसी]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 (i) में का.आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 3061(अ) तारीख 7 अक्तूबर, 2013 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2014

S.O. 2632(E).—Whereas, in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), Dr. K. L. Babu has been elected as a member to the Central Council of Homoeopathy from the Kerala University of Health Sciences, Medical College P. O., Thrissur.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) Number S.O. 482(E), dated, the 6th August, 1974 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification, in the Table, under the heading " Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3", for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, namely:—

Name and Address of the Member		Name of the University from which elected	Elected for the period
(1)		(2)	(3)
"1.	Dr. K.L. Babu, Professor, Department of Organon of Medicine, Government Homoeopathic Medical College, Kozhikode.	Kerala University of Health Sciences, Medical College P.O., Thrissur.	With effect from the 18th July, 2014, to 28th February, 2015 or till he ceases to be a member of the Faculty of Homoeopathy of the Kerala University of Health Sciences, Medical College P.O., Thrissur."

[F. No. Z. 28016/01/2013-HPC]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(i), *vide* S.O. 482(E), dated the 6th August, 1974 and was last amended *vide* S.O. 3061(E), dated the 7th October, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.